न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—310/2017/225 (2017/00310)

1. भंवरलाल पुत्र किशना,
2. सूरजमल पुत्र किशना,
3. मुन्ना पुत्र किशना,
4. कंवरी पुत्री किशना,
   जाति जाट, नि0 ग्राम कायड़, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. खेमराज पुत्र नानू,
2. प्रेमराज पुत्र नानू,
3. हेमराज पुत्र नानू,
4. संग्राम पुत्र नानू,
   समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम कायड़, तह0 व जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर दिनांक 29.5.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 12/2015.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः—2.5.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर के आदेश दिनांक 29.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 विरूद्ध अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 5 के अधी0न्याया0 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 की खातेदारी आराजी वाके ग्राम कायड़, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2065 से 2084 के अनुसार खाता संख्या 855 के खसरा नंबर नवीन 656 रकबा 0.656 है0 किस्म बारानी—1 जो कि रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होकर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 656 में आवागमन का एकमात्र रास्ता जो कि खसरा नंबर 691 से निकल आगे अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 662 एवं 663 जो कि अपीलांटस के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2065 से 2084 में दर्ज है कि जिसके दक्षिण दिशा की ओर बनी मेड़ के सहारे सहारे आगे रेस्पो0 के खेत खसरा नंबर 656 पर अब तक बिना दखल एवं व्यवधान के आते जाते रहे है । अपीलांटस द्वारा जानबूझकर उक्त मेड़ के सहारे

आवागमन के उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है जिसके कारण रेस्पो0 को अपनी आराजी पर खेती बाड़ी करने एवं खेत की जुताई बुवाई एवं कटाई कर फसल को ले जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ साधन आदि के लाने ले जाने में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो गया है जिस हेतु रेस्पो0 को स्थायी रास्ता उपलबध कराया जावे एवं रेस्पो0 के खातेदारी आराजी खसरा नंबर 656 पर जो उनके पूर्वजों के समय से अपीलांटस के खेत खसरा नंबर 662 एवं 663 के दक्षिण दिशा में बनी मेड के सहारे सहारे होकर रेस्पो0 के खेत तक आवागमन का जो रास्ता उपलबध था को मौके पर 20 फीट चौड़ा कर रास्ते हेतु भूमि निर्धारित कर नियमानुसार एवं मान0 न्यायालय के आदशोनुसार देय क्षतिपूर्ति राशि रेस्पो0 द्वारा अपीलांटस को अदा करने को तैयार है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 के प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त पत्रावली अपीलांट संख्या 4 कंवरी पुत्री किशना की तामील बाबत् नियत की हुई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना आपीलांट संख्या 4 की तामील कराये एकतरफा में अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर दिनांक 29.5.2017 को जो आदेश पारित किया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 19.4.2017 की तारीख पेशी नियत की गई थी व दिनांक 19.4.2017 से उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 10.5.2017 की तारीख पेशी न्यायालय द्वारा प्रदान की थी व दिनांक 10.5.2017 को पत्रावली को नियत नहीं किया जाकर एकतरफा में लोक अदालत कैम्प में दिनांक 19.5.2017 को नियत कर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.5.2017 के बाबत् अपीलांटस को कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं एकतरफा में दिनांक 29.5.2017 को ही बिना अपीलांटस को नोटिस दिये पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट बनाते हुए जो निर्णय पारित किया है वह वैधानिक प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसकी आराजी में से रास्ता प्रदान करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य था । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.5.2017 को निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की आराजी में से नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी । दिनांक 30.11.2017 को उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा नजरसानी अंतर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश करने

तथा उक्त प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी होने पर अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष विचाराधीन नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 30/2017 की आदेशिका मय प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिसकी प्रति रेस्पो0 को उपलब्ध कराई गई जिसके बाबत् रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया । चूंकि उपरोक्त दस्तावेज विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र की आदेशिका एवं प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिया है जिस पर किसी प्रकार से संदेह नहीं किया जा सकता है व उक्त दस्तावेज हस्तगत प्रकरण को निर्णित करने में सहायक दस्तावेज होने से न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 25.1.2016 को कोई आदेश पारित नहीं किया गया है बल्कि अधी0न्याया0 में रेस्पो0 संख्या 1 के उपस्थित प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी पेशी दिनांक 4.2.2016 को नियत की थी । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में दिनांक 12.2.2016 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है । अपीलांटस द्वारा केवल मात्र आदेशिका दिनांक 25.1. 20196 के विरूद्ध अपील पेश की है जो आदेश की श्रेणी में नहीं आती है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलांटस विवादित आराजी खसरा नंबर 662 व 663 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अपीलांटस की उपरोक्त आराजियात में से मौके पर कोई रास्ता कायम नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की आरायिजात में से रेस्पो0 को रास्ता दिये जाने के आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नजरसानी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण को दिनांक 29.5. 2017 को राजस्व कैम्प ग्राम कायड़ में सुनवाई हेतु रखा गया था । उक्त दिनांक को रेस्पो0 की गैर मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार किया गया था व उपरौक्त मौका के आधार पर ही अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात में रास्ता प्रदान करने के आदेश

पारित किये है जो कि रेस्पो0 के कथनों से स्वंय सिद्ध है कि लोक अदालत में अपीलांटस व रेस्पो0 दोनों ही उपस्थित नहीं थे व न ही उपरोक्त मौका पर्चा अपीलांटस एवं रेस्पो0 की मौजूदगी में तैयार नहीं किया गया था इसके बावजूद भी उपरोक्त मौका पर्चा के आधार अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (मुख्या0), अजमेर का आदेश दिनांक 29.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार करवा कर उभयपक्ष को साक्ष्या एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 2.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर